आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
24/1/20	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–04.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी लक्ष्मी देवी, पति–स्व0 जलधर सिंह, ग्राम–डुमरिया, पो0–डुमरिया, प्रखंड–बेलहर, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 999990116051966097/2A वर्ष–2019 लक्ष्मी देवी बनाम् अंचल अधिकारी, बेलहर है। अंचल अधिकारी, बेलहर के पत्रांक–719 दिनांक–27.11.2019 से प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि पर परिवादी उपस्थित है। सुनवाई की गयी। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि विवाद का मुख्य कारण परिवादी के पुत्र अरविन्द कुमार सिंह के पत्नी के नाम से संग्रामपुर (मुंगेर) में खरीद की गयी भूमि (मकान) में छोटा भाई अजीत कुमार सिंह हिस्सा की मांग करते है तथा छोटा भाई की पत्नी को मिले वसीयतनामा में बड़े भाई को हिस्सा नहीं देना चाहते है। मामला रैयती भूमि एवं बटवारा से संबंधित है। अनुमंडल लोक शिकायत प्राधिकार एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा ऐसे मामले को नकारात्मक सूची में पाते हुए परिवादी को सक्षम न्यायालय में विवाद के निपटारा हेतु जाने की सलाह दी गयी है। अतः निम्न दोनों प्राधिकारों के आदेश से सहमत होते हुए द्वितीय अपील अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित जिला पदाधिकारी, बांका जिला पदाधिकारी –सह– द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।	